न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2021/21 दायरा दिनांक : 15.02.2021

उनवान

पाटीदार समाज, जिला झालावाड जर्ये

1– अध्यक्ष श्री धीरज कुमार पुत्र सूरजमल पाटीदार, निवासी दित्याखेडी, तहसील झालरापाटन जिला झालावाड
2– महासचिव कमल कृष्ण पाटीदार पुत्र राधेश्याम पाटीदार, निवासी श्योपुर, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड
3– सचिव जगदीश पाटीदार पुत्र दौलतराम पाटीदार, निवासी डूंगर गांव तहसील असनावर, जिला झालावाड
4– कोषाध्यक्ष गिर्राज पाटीदार पुत्र लक्ष्मीनारायण पाटीदार, निवासी झालावाड
5– प्रवक्ता महेश कुमार पाटीदार पुत्र लालचन्द पाटीदार समाज, निवासी झालावाड
6– विष्णु पाटीदार संरक्षक राजस्थान पाटीदार समाज, निवासी झालावाड .... अपीलांट

बनाम

1– नरेश कुमार आत्मज श्री कृष्ण गोपाल, जाति अग्रवाल, निवासी झालावाड, जिला झालावाड
2– कपिल आत्मज श्री रामप्रताप जायसवाल, निवासी भवानीमण्डी, जिला झालावाड
3– नीरू पुत्री रामप्रताप जायसवाल पत्नी दिनेश जायसवाल, निवासी अजमेर
4– भावना पुत्री रामप्रताप जायसवाल पत्नी संजय जायसवाल, निवासी अजमेर
5– रानी पुत्री रामप्रताप जायसवाल पत्नी श्री राकेश निवासी मन्दसौन मध्यप्रदेश
6– सपना पुत्री रामप्रताप जायसवाल पत्नी श्री अशोक जायसवाल, निवासनी खरगोन मध्यप्रदेश
7– पुष्पा देवी पत्नी रामप्रताप जायसवाल, निवासी भवानीमण्डी, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री सी. पी. खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री अरूण कुमार जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 की ओर से, शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : 23.07.2024

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड के प्रकरण संख्या – 605/2008/दावा निर्णय व डिक्री दिनांक 04.10.2010 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट नं. 1 ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि कस्बा झालावाड में खाता संख्या 365 की गत खाता संख्या 286 की खसरा नं. 2084 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नं. 2086 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नं. 2087 रकबा 3 बिस्वा कुल 3 किता कुल रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा आराजी स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 04.10.2010 से वादी का वाद स्वीकार किया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि निर्णय एवं डिक्री अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है जो निरस्त होने योग्य है। विवादित आराजी के मामले में अधीनस्थ न्यायालय ने फुट के आधार पर आराजी क्रय करना बताते हुये डिक्री प्राप्त की है जबकि विवादित आराजी के मामले में रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के हक में हुआ विक्रय पत्र प्रारम्भ से ही अवैध एवं प्रभाव शून्य था, कानूनन कृषि भूमि का विक्रय फुट में नहीं किया जा सकता और न ही ऐसी डिक्री की पालना की जा सकती। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री से रेस्पोडेन्ट क्रम 1 को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट क्रम 1 नरेश कुमार वादी के द्वारा अवैधानिक रूप से एक तरफा डिक्री

23/7/2024
(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

प्राप्त की है वादी एवं प्रतिवादीगण की मिलीभगत से डिक्री पारित हुयी है, प्रतिवादीगण 3 लगायत 8 जो रामप्रताप के वारिसान है। जान बूझकर अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये और उन्होंने सही तथ्य उजागर नहीं किये। ग्राम झालावाड में ही खातेदार रामप्रताप के खाते में खसरा नम्बर 2083 की 16 बिस्वा आराजी स्थित थी उक्त आराजी अपीलान्ट पाटीदार समाज के द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की गयी थी परन्तु यह भी इकरार हुआ था कि खसरा नम्बर 2083 की आराजी में से 5386 वर्गफुट भूमि विक्रेता रामप्रसाद ही रखेगा और इसकी एवज में विक्रेता राजस्थान पाटीदार समाज को खसरा नम्बर 2084 की 4719 वर्गफुट आराजी देगा। इस आराजी पर पाटीदार समाज का कब्जा है। विक्रेता रामप्रसाद ने जो आराजी रखी उस पर उसके पुत्र कपिल ने गैस गोडाउन बना रखा है इस प्रकार इकरारनामें के आधार पर दोनों पक्ष काबिज है और इस बाबत एक इकरारनामा दिनांक 08.07.1987 को भी नोटरी के समक्ष अटेस्टेड हुआ था जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट को भी है। परन्तु रेस्पोडेन्ट क्रम 1 नरेश कुमार द्वारा प्रस्तुत वाद में यह तथ्य उजागर नहीं किया गया और एक तरफा डिक्री कराने में पूर्ण सहयोग किया, जो अवैधानिक है। अपीलान्ट पाटीदार समाज के द्वारा इकरारनामा दिनांक 08.07 1987 की पालना में खसरा नम्बर 2084 की 4719 वर्गफुट आराजी अपीलान्ट के रजिस्ट्री कराने के लिये कहा तो उन्होंने तथ्य छिपाते हुये यह जाहिर किया कि आप चाहोगे तब रजिस्ट्री करवा देगे, परन्तु अपीलान्ट द्वारा बार बार आग्रह किया तो रेस्पोडेन्ट 3 लगायत 8 रामप्रताप के वारिसान ने इकरारनामा दिनांक 08.07.1987 की निरन्तरता में अपीलान्ट के हक में दिनांक 16.09.2019 को उक्त बाबत विनिमय पत्र अटेस्टेड करवा दिया और सभी ने हस्ताक्षर कर गवाही गवाहान करवा दी और इसी मुताबिक अपीलान्ट का आराजी पर कब्जा चला आ रहा है। रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री की अवैधानिक रूप से पालना करवा ली, अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों के तहत पालना नहीं होने के कारण मार्गदर्शन भी मांगा परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त तथ्य नजर अन्दाज कर डिक्री की पालना करवाने में पूर्ण सहयोग किया, जो अवैधानिक है। रेस्पोडेन्ट क्रम 1 को खसरा नम्बर 2084 की 4719 वर्गफुट आराजी पर कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं क्योंकि यह आराजी स्वयं रामप्रताप अपने जीवन काल में दिनांक 08.07.1987 को एक्सचेन्ज कर चुका था, इस कारण उसके समस्त अधिकार उक्त आराजी पर समाप्त हो चुके थे। इन तथ्यों की जानकारी के बाद भी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने रामप्रताप से इसी आराजी को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पुनः बेचान करने में त्रुटि की है। पुनः बेचान से अपीलान्ट को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं पश्चातवर्तीय बेचान अवैध एवं प्रभाव शून्य है। रेस्पोडेन्ट क्रम 1 का विवादित आराजी पर कोई कब्जा नहीं रहा है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 18.12.2021 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 एवं 151 सी. पी. सी. पेश कर कथन किया कि पाटीदार समाज द्वारा खसरा नं. 2083 की 16 बिस्वा जमीन क्रय की थी, परन्तु खातेदार रामप्रताप से इकरार हुआ था कि 2083 की भूमि में से 5386 वर्गफुट भूमि खातेदार रखेगा एवं खसरा नं. 2084 में से 4719 फुट आराजी समाज को देगा इसके बावजूद भी रामप्रताप ने 2084 की आराजी में से रेसपोडेंट नरेश कुमार को बेच दी, जिसके आधार पर नरेश कुमार कब्जा करने को तत्पर है। अधीनस्थ न्यायालय में रामप्रताप के वारिसान ने जानकारी के बाद भी आपत्ति नहीं करी एक तरफा डिक्री जैर अपील पारित कर दी इससे अपीलांट के हित प्रभावित होते हैं। अतः प्रार्थना है कि अपीलांट को प्रभावित पक्षकार मानते हुए अपील पेश करने की इजाजत दी जावे।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी. पी. सी. आर्डर 41 नियम 27 एवं धारा 151 सी. पी. सी. पेश कर दस्तावेज रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

(1) नकल जमाबंदी सम्वत 2074–2077 ग्राम झालावाड खाता संख्या नया 683
(2) नकल जमाबंदी सम्वत 2074–2077 ग्राम झालावाड खाता संख्या नया 417

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त दस्तावेज रेकाड पर लिये जाने की कृपा करे।

.../7/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(1) नकल जमाबंदी सम्वत 2074–2077 ग्राम झालावाड खाता संख्या नया 683
(2) नकल जमाबंदी सम्वत 2074–2077 ग्राम झालावाड खाता संख्या नया 417
अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त दस्तावेज रेकाड पर लिये जाने की कृपा करे।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र आर्डर 41 नियम 27 एवं धारा 151 सी. पी. सी. पेश कर दस्तावेज रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

(1) नकल विक्रय पत्र दिनांक 03.05.1994 बहक द्वारका प्रसाद खसरा नं. 2084 ग्राम झालावाड भू खण्ड 60×30 फुट
(2) प्रति विनिमय इकरारनामा दिनांक 08.07.1987
(3) प्रति विनिमय पत्र दिनांक 07.11.2023
(4) प्रति नक्शा खसरा नम्बर 3414/2084
(5) प्रति नक्शा खसरा नम्बर 3724/2083
(6) प्रति भू नक्शा ग्राम झालावाड खसरा नम्बर 3726/3414
अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त दस्तावेज रेकाड पर लिये जाने की कृपा करे।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में अंकित किया कि रेस्पोडेन्ट क्रम 1/वादी नरेश कुमार के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद बाबत घोषणा पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजी ग्राम झालावाड में खसरा नम्बर 2084, 2086, 2097 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा रामप्रताप जायसवाल के खाते की स्थित थी, रामप्रताप की मृत्यु हो चुकी है। उसके जायज वारिस व कायम मुकामान रेस्पोडेन्ट क्रम 2 लगायत 7 है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट क्रम 1 नरेश कुमार के द्वारा रेस्पोडेन्ट क्रम 2 लगायत 7 के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 आर. टी. एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 2804 रकबा 16 बिस्वा में 60 × 60 कुल 3600 वर्गफुट एवं 50 × 53 के दो, 36 × 57 के दो कुल 2365 वर्गफुट आराजी वादी ने रामप्रताप जायसवाल से दिनांक 03.05.1994 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया तब से वादग्रस्त आराजी पर कब्जा है। प्रतिवादीगण खाते दर्ज करवाने से इंकार हो गये इसलिये उक्त आराजी खाते दर्ज की जावे। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा कानूनी प्रावधानों के विपरीत रेस्पोडेन्ट क्रम 1 का वाद डिक्री कर दिया, इसलिये अपीलान्ट द्वारा प्रभावित पक्षकार होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.10.2010 के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

विवादित आराजी के मामले में रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के हक में हुआ विक्रय पत्र प्रारम्भ से ही अवैध एवं प्रभाव शून्य था क्योंकि कानूनन कृषि भूमि का विक्रय फुट में नहीं किया जा सकता, न ही ऐसी डिक्री की पालना की जा सकती। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानूनी प्रावधानों के विपरीत एवं अवैधानिक होने से निरस्त योग्य है। कानूनन अवैधानिक आदेश को निरस्त करवाने की कोई मियाद का बिन्दु बाधक नहीं हो सकता।

ग्राम झालावाड में ही खातेदार रामप्रताप के खाते में खसरा नम्बर 2083 की 16 बिस्वा आराजी स्थित थी, उक्त आराजी अपीलान्ट पाटीदार समाज के द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.07.1987 को क्रय की गयी थी। परन्तु यह भी करार हुआ था कि खसरा नम्बर 2083 की आराजी में 5386 वर्गफुट भूमि विक्रेता रामप्रताप ही रखेगा, और इसकी एवज में विक्रेता, अपीलान्ट पाटीदार समाज को खसरा नम्बर 2084 फुट की 4719 वर्गफुट आराजी देगा इस आराजी पर पाटीदार समाज का कब्जा है। विक्रेता रामप्रताप ने जो आराजी रखी उस पर उसके पुत्र ने गैस गोदाम बना रखा है इस प्रकार इकरारनामे के आधार पर दोनों पक्ष काबिज है और इस बाबत एक इकरारनामा भी दिनांक 08.07.1987 को नोटेरी के समक्ष अटेस्टेड हुआ था जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट को भी है। परन्तु रेस्पोडेन्ट क्रम 1 नरेश कुमार द्वारा प्रस्तुत वाद में यह तथ्य उजागर नहीं किया गया और एक तरफा डिक्री प्राप्त कर ली, जो अवैधानिक है।

22/7/2024
(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के द्वारा कानूनी प्रावधानों के विपरीत डिक्री की अविधानिक रूप से पालना करवा, राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरूस्त करवा लिया है जबकि कानूनी प्रावधानों के विपरीत डिक्री की पालना सम्भव नहीं होने के कारण दिनांक 15–2–2011 को तहसील द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से मार्गदर्शन भी मांगा गया था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त कानूनी प्रावधानों को नजर अन्दाज कर डिक्री की पालना में पूर्ण सहयोग किया है।

रेस्पोडेन्ट क्रम 1 को खसरा नम्बर 2084 की 4719 वर्गफुट आराजी पर कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते, रामप्रताप ने अपने जीवनकाल में ही उक्त आराजी एक्सचेन्ज कर चुका था। रामप्रताप के वारिसान ने अब दिनांक 07.11.2023 को विनिमय पत्र पंजीकृत करवा दिया, कब्जा नहीं होने के कारण पश्चातवर्तीय बेचान से रेस्पोडेन्ट क्रम 1 को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है।

न्याय हित में एवं प्रकरण की मेरिट को देखते हुए प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमिटेशन अधिनियम प्रार्थना पत्र धारा 96 सी. पी. सी. एवं प्रार्थना पत्र आर्डर 41 नियम 27 सी. पी. सी. स्वीकार फरमाया जावे।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.10.2010 निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.टी. 2021(1) पेज 81, 2023 (2) आर.आर.टी. पेज 1241, 2017 (2) आर.आर.टी. पेज 1104 व 2009 डी.एन.जे. (एस.सी.) पेज 846 की नजीरे पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.डी. 2011 पेज 228 (एच.सी.), आर. बी.जे. 2023 पेज 125, आर.बी.जे. 2022 पेज 1, एवं आर.बी.जे. 2023 पेज 321 की नजीरे पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सी. पी. सी., आर्डर 41 नियम 27 एवं धारा 151 सी. पी. सी. प्रार्थना पत्र पर अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः न्यायहित में धारा 96 सी. पी. सी., आर्डर 41 नियम 27 एवं धारा 151 सी. पी. सी. स्वीकार किया जाता है।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि विवादित आराजी का खातेदार वादी को रजिस्टर्ड बयनामा के आधार पर घोषित किया गया। उक्त निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लिया गया कि "नकल छायाप्रति बयनामा प्रदर्श 5 से झालावाड की आराजी खसरा नं. 2084 रकबा 16 बिस्वा 60 गुणा 60 वर्गफुट कुल 3600 वर्गफुट व 50 गुणा 53 के 2 गुणा 36 गुणा 57 के 2 कुल 2365 वर्गफुट खातेदार रामप्रताप पुत्र अशरफीलाल जायसवाल महाजन, निवासी भवानीमण्डी से 60000 में वादी द्वारा कय कर कब्जा प्राप्त कर लेना प्रमाणित है और यह भी प्रमाणित है कि दिनांक 03.05.1994 से ही उक्त दोनों प्लाटों पर वादी का ही कब्जा चला आ रहा है। जिसको लगभग 16 वर्ष का समय हो चुका है। जिससे वादी को उक्त विवादग्रस्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है।"

26/2/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

उक्त निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी के कब्जे बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं हुई। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 16 वर्ष से कब्जे बाबत किया गया कथन किसी दस्तावेजी साक्ष्य के बगैर किया गया प्रतीत होता है।

प्रस्तुत प्रकरण में दौराने अपील अपीलांट द्वारा दस्तावेज पेश किये गये। उक्त दस्तावेज विवादित आराजी से संबंधित होना प्रकट होते हैं।

प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 के पिता एवं प्रतिवादी कम 6 के पति द्वारा इकरारनामे से की गई एक्सचेंज डीड (विनिमय पत्र) तथा प्रतिवादी कम 1 द्वारा अपीलांट के साथ की गयी रजिस्टर्ड विनिमय पत्र की प्रति पेश की है। चूंकि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ये दस्तावेज प्रस्तुत नहीं हो सके।

हमारी राय में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पूर्ण तथ्यों पर आधारित नहीं होने एवं कब्जे बाबत साक्ष्य नहीं होने के बावजूद एकपक्षीय रूप से पारित होने से निरस्त किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.10.2010 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आलोक में पुनः समस्त पक्षकारान की सुनवाई कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 24.09.2024 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

23/7/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा